



डजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण

प्रलिस के लिये:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय डजिटल संचार नीति, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ई-कॉमर्स, IoT, आयुष्यमान भारत डजिटल मिशन, स्मार्ट सटीज, डजिटल इंडिया

मेन्स के लिये:

डजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने हाल ही में यूनिफाइड लाइसेंस (Unified License- UL) के तहत डजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण की शुरुआत पर सफारिशें जारी कीं।

- ये सफारिशें **राष्ट्रीय डजिटल संचार नीति (National Digital Communications Policy- NDCP), 2018** के अनुरूप हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में डजिटल बुनियादी ढाँचे की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं।

TRAI की प्रमुख सफारिशें:

- DCIP प्राधिकरण का निर्माण:** TRAI, लाइसेंस की एक नई श्रेणी **डजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (Digital Connectivity Infrastructure Provider- DCIP) प्राधिकरण** के निर्माण की सफारिश करता है।
 - यह प्राधिकरण सक्रिय और नष्क्रिय दोनों डजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे के निर्माण की अनुमति देता है।
 - DCIP प्राधिकरण एक स्टैंडअलोन लाइसेंस (Standalone License) नहीं है बल्कि **यूनिफाइड लाइसेंस फ्रेमवर्क (Unified License Framework)** के अंतर्गत आता है। इस कदम का उद्देश्य सक्रिय और नष्क्रिय DCI बनाने में वशिषजता वाले अभकिरत्ताओं के उद्भव को प्रोत्साहित करना है।
 - यूनिफाइड लाइसेंस सेवा-वार प्राधिकरण प्रदान करता है, जहाँ लाइसेंसधारी नेटवर्क स्थापति करने और सेवाएँ प्रदान करने के लिये उनका उपयोग करते हैं।
- DCIP प्राधिकरण का प्रयोजन:** प्रस्तावित DCIP प्राधिकरण का प्रयोजन व्यापक है, जिसमें **वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क (Wireline Access Network)**, **रेडियो एक्सेस नेटवर्क (Radio Access Network- RAN)**, **वाई-फाई सिस्टम (Wi-Fi Systems)**, **ट्रान्समिशन लिंक (Transmission Links)** इत्यादि जैसे विभिन्न घटकों के स्वामित्व, स्थापना, रखरखाव और संचालन को शामिल किया गया है।
 - हालाँकि इसमें मुख्य नेटवर्क तत्व (Elements) और **स्पेक्ट्रम (Spectrum)** शामिल नहीं हैं।
- स्व-वनिियमन और अनुपालन:** सुरक्षा शर्तों, **सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service- QoS)** तथा अन्य लाइसेंस दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये TRAI, DCIP एवं लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के बीच एक प्रसिपिल-एजेंट संबंध का प्रस्ताव करता है।
- बुनियादी ढाँचे को साझा करना:** DCIP लाइसेंसधारियों को कुछ शर्तों के अधीन **UL (Unified License) लाइसेंसधारियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के साथ अपने बुनियादी ढाँचे को साझा** करने की अनुमति है।
 - यह साझाकरण लागत में कमी के साथ कुशल सेवा वितरण को बढ़ावा देने के साथ सहयोग में वृद्धि करता है।
- योग्य संस्थाओं तक पहुँच:** DCIP लाइसेंसधारियों को **टेलीग्राफ अधिनियम, 1885** के तहत वैध लाइसेंस वाली संस्थाओं के रूप में अधिसूचित संस्थाओं को सरकार द्वारा **पट्टे/करिाए/बकिरी के आधार पर DCI वस्तुओं, उपकरण और सिस्टम प्रदान** करने की सफारिश की जाती है।
 - इसका वसितार उन DCIP लाइसेंसधारियों तक भी है, जिन्हें **वदियुत अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त हुआ है**, जो इस अधिकार के आधार पर अपने बुनियादी ढाँचे तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं।

डजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्त्व:

■ परचिय:

- **डजिटल बदलाव** के इस आधुनिक युग में डजिटल कनेक्टविटी आर्थिक विकास के बुनियादी ढाँचे, सामाजिक प्रगति और तकनीकी नवाचार की आधारशिला के रूप में उभरी है, जसिे NDCP, 2018 में दर्शाया गया है।
- TRAI की हालिया सफारशों का उद्देश्य जल, वदियुत और अग्निसुरक्षा प्रणालियों जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं के अनुरूपभवन विकास योजनाओं में DCI को एकीकृत करने के लिये एक रूपरेखा स्थापति करना है।

■ महत्त्व:

- संचार और सूचना प्रवाह को सुगम बनाना: डजिटल कनेक्टविटी ब्रॉडबैंड नेटवर्क और मोबाइल सेवाओं जैसे बुनियादी ढाँचे, भौगोलिक सीमाओं के पार त्वरति संचार को सक्षम बनाती है।
 - यह सूचना, वचिारों और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुवधि प्रदान करती है, जो शक्ति, अनुसंधान एवं नवाचार के विकास में योगदान प्रदान करते हैं।
- आर्थिक विकास की वृद्धि: डजिटल कनेक्टविटी व्यवसायों को वैश्विक बाज़ार तक पहुँच प्रदान करके आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य करती है।
 - ग्राहक ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएँ और डजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँचने और परचालन को सुव्यवस्थति करने के लिये कनेक्टविटी का लाभ उठाते हैं, जसिसे व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है।
- डजिटल सेवाओं को सशक्त बनाना: टेलीमेडसिनि, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शक्ति जैसी डजिटल सेवाओं के लिये हाई-स्पीड इंटरनेट एवं वशिवसनीय कनेक्टविटी की उपलब्धता आवश्यक है।
 - ये सेवाएँ पहुँच, दक्षता और समावेशति में सुधार करती हैं, जसिसे जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
- नवाचार और उद्यमति को बढ़ावा: डजिटल कनेक्टविटी अवसंरचना सहयोग, डेटा साझाकरण एवं दूरस्थ कार्य को सक्षम करके नवाचार को बढ़ावा देती है।
 - उद्यमी आर्थिक विधिीकरण में योगदान करते हुए नवोन्वेषी उत्पादों एवं सेवाओं को विकसति करने के साथ उन्हें लॉन्च करने के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं।
- उद्योग परिवर्तन का समर्थन: वनिरिमाण, कृषि एवं स्वास्थय सेवा जैसे उद्योग डजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं, जो स्वचालन, IoT एवं डेटा एनालिटिक्स को लागू करने के लिये कनेक्टविटी पर निर्भर हैं।
 - स्मार्ट फैक्टरियाँ, प्रसिजिन एग्रीकल्चर और टेलीमेडसिनि इस बात के कुछ उदाहरण हैं कि कैसे कनेक्टविटी पारंपरिक क्षेत्रों में क्रांति ला रही है।
- डजिटल एवं सामाजिक वभिजन अंतराल को समाप्त करना : डजिटल कनेक्टविटी अवसंरचना पहले से वंचति या दूरदराज़ के क्षेत्रों को सूचना, शक्ति तथा आर्थिक अवसरों तक पहुँच प्रदान करके डजिटल वभिजन के अंतराल को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
 - साथ ही सामाजिक समावेशन में योगदान के साथ ही यह सुनिश्चति करते हुए असमानताओं को कम करता है ताकि समाज के सभी वरग तकनीकी प्रगति से लाभान्वति हो सकें।
- न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन: यह डजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुषमान भारत डजिटल मशिन (ABDM) तथा स्मार्ट सति के विकास जैसी वभिनिन सरकारी पहलों के सुव्यवस्थति कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
 - डजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा भी भारत की जी-20 प्राथमकिताओं में से एक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, के वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. G-20 के बारे में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

1. G-20 समूह की मूल रूप से स्थापना वतित मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वतितय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी।
2. डजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा भारत की G-20 प्राथमकिताओं में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.

